उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-62/2020/901/92-2-20-51एम/2019
लखनऊ:: दिनांक 20 अप्रैल, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ में त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यो को मानक के अनुसार न कराये जाने, उच्चाधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के उपरान्त निर्माण कार्यो में परिलक्षित कमियों का निराकरण कराये बिना भुगतान कर शासन को शासकीय क्षति पहुँचाने हेतु प्रथम दृष्ट्या उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-112/ 2019/1627/92-2-2019-51एम/2019, दि0 25.07.2019 द्वारा श्री जव्वार हुसैन, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,प्रखण्ड-मेरठ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता,(पू0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- इसी मध्य अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान रहने के दौरान अपचारी अधिकारी, श्री जव्वार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मेरठ अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-07-2019 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावलली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-62/2020/901(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता(पू0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- श्री जव्वार हुसैन, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-मेरठ सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in